

28/3/23 29/3/23 29/1071

आदेश

शासनादेश सं० 2885/12-2-2003-एस-19/2002 दिनांक 30.05.2003 के क्रम में उ०प्र० बीज विकास निगम के पत्रांक यूपीसीड/4347/विपणन-05/2023 दिनांक 27.03.2023 द्वारा जायद 2023 हेतु उर्द एवं मूंग के प्रमाणित बीजों की मिनीकिट 04 कि०ग्रा० की पैकिंग में राष्ट्रीय बीज निगम(एन०एस०सी०) एवं आई०एफ०एफ०डी०सी० एवं हिल इण्डिया(एच०आई०एल०) के माध्यम से सूचित दरों के दृष्टिगत कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर एवं कृषकों में वितरण हेतु फुटकर विक्रय दर निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

(दर रू०/कु०)

क्रं.	फसल/प्रजाति का नाम	कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर (एफ०ओ०आर० मण्डल स्तर पर)	फुटकर विक्रय दर
1	उर्द वल्लभ उर्द-1 प्रमाणित बीज इत्यादि।	11,840.00 (रू० ग्यारह हजार आठ सौ चालीस मात्र)	11,940.00 (रू० ग्यारह हजार नौ सौ चालीस मात्र)
2	मूंग विराट(IPM-205-7) शिखा, कनिका, प्रमाणित बीज इत्यादि।	11,220.00 (रू० ग्यारह हजार दो सौ बीस मात्र)	11,320.00 (रू० ग्यारह हजार तीन सौ बीस मात्र)

राष्ट्रीय बीज निगम (NSC)/अन्य वाह्य संस्थाओं के माध्यम से आपूर्ति होने वाले उक्त बीजों की आपूर्ति मण्डल स्तर पर एफ०ओ०आर० की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त निदेशालय पत्रांक एस०एफ०-3015टी दिनांक 19.03.2023 द्वारा निर्गत रागी/मंडुवा प्रमाणित बीजों के मिनीकिट्स बीजों की आपूर्ति जनपद स्तर के स्थान पर मण्डल स्तर पर की जायेगी।

अनुदान समायोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें। उक्त दरें वेबसाइट एवं मण्डलीय/जनपदीय विभागीय अधिकारियों की ई-मेल पर उपलब्ध है।

(अरविन्द कुमार सिंह)
अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

फोन/फैक्स : 0522-2205863 ई-मेल : adaseedandfarmiko@gmail.com

पत्रांक:एस०एफ०- 3089 T /29टी/बीज दर-11/2023-24 दिनांक: 28/03/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ को उक्तानुसार दरों को विभागीय वेबसाइट/डी०बी०टी० पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. बीज आवंटन पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दरों के अनुसार डी०बी०टी० पोर्टल पर मास्टर लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक(शोध) उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त अपर कृषि निदेशक/परियोजनाधिकारी कृषि भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
7. उपमहाप्रबन्धक, आई०एफ०एफ०डी०सी०/एच०आई०एल०, लखनऊ।
8. कृषि निदेशक, उ०प्र० की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
9. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ।

श्री. अरविन्द कुमार सिंह

सहायक निदेशक
(समन्वय एवं कम्प्यूटर)

29.3.23

अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।